

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946—220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक-123

हल्द्वानी, दिनांक, जुलाई, 25

2022.

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड, देहराद्न।

विषय :-

जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 10 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या—269/12—1 दिनांक 15.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:-

आपत्ति I. As per DSS analysis (report enclosed), out of total area of 187.85 ha (Software estimated), 26 ha of forest land falls under water while the remaining area is non-wooded. Comments may be obtained from the State on the feasibility of mining over 26ha of land coming under water.

प्रतिउत्तर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 181.00 है0 लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व मे भी लिया गया था जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र नदी तल का क्षेत्र है। सम्भवतः कुछ क्षेत्र में पानी दर्शित होता हो किन्तु खनन सत्र के अन्तर्गत अधिकतर क्षेत्र जल विहीन हो जाता है जिसमें उपखनिज निकासी प्रस्तावित है।

II. Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 2.80 km from the boundary of the area proposed for diversion. As the area falls within 10 km from the boundary of Corbett Tiger reserve, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the ministry for consideration.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र की हवाई दूरी निकटतम 10.05 किमी0 एवं कॉर्बेट टाईंगर रिजर्व से निकटतम दूरी 6.0 किमी0 आंकलित की. गई है जिसको वन विभाग उत्तराखण्ड की आई०टी० सेल देहरादून से प्रमाणित कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

III. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 181 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the state along with soft copies of KML/shape files of all sites.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी, दाबका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खनिज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी KML File (मय सी.डी.) प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

IV. Examination of the Mining scheme submitted along with the proposal revealed the following:

a. Proposal has been submitted only for 181 ha while the Mining Scheme has been approved for an area of 254 ha. The discrepancy needs to be rectified by the state.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु बनाई गई है जो कि मई 2023 तक के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 181.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर से ग्राम मदनपुर कूर्वी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने पर अनुमानित क्षेत्रफल 181.00 हैं0 में नदी की दोनो ओर 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है0 शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज चुगान की कार्यवाही की जा रही है। नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र सं0-877/1जी0 -2757/दिनांक 09.10.2012 द्वारा 254.00 है0 से 181.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया था, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

b. Chapter-12 of Mining plan mentions that sandy प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि Sandy soil का soil will be removed during mining operations निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न खनन योजना के अध्याय-05 के and precautionary measures will be undertaken अन्तर्गत Proposed Method Of Mining मे उल्लेखित किया for its storage. However, details of measures and गया है, किन्तुं वर्तमान में आर०वी०एम० उपखनिज चुगान का कार्य area earmarked for its storage have not been एफ0सी0 में दी गई शर्तों के अनुसार ही श्रमिकों के माध्यम (By addressed in the Mining plan. Hand tool Manual Method) से किया जाता है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन हेतु c. Land use/Component wise breakup of the area उपयोगी क्षेत्र 127.00 है0 है। सतही मृदा (Top Soil) व Over proposed for diversion i.e. area under mining, Burden के भण्डारण हेतु Waste Dump का क्षेत्रफल 3.174 है0 infrastructure, approach road, storage of top soils, है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत etc. has not been mentioned neither in the संरचना (Infrastructure) के लिए 2.282 है0 वन भूमि का उपयोग proposal nor in the Mining plan. The same needs किये जाने का प्राविधान है जिसे अनुमोदित खनन योजना की प्लेट to be furnished by the state. सं0–06 व 07 में दर्शाया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में F.C. (वन d. Proposal for renewal of approval under FC has रवीकृति) की निर्धारित तिथि 14 फरवरी 2023 तक ही स्वीकृत है, been submitted for a period of 10 years while जिस कारण खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 वर्षो scheme of mining has been approved for a period के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षों हेतुं पुर्नप्रस्ताव आवेदित of 3 year (Pg 142/c; Pg 82/c). किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षों के लिए खनन योजना के बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आगामी वर्षों के e. Mining plan essentially has to be prepared in लिए खनन योजना में बिन्दु का समावेश कर लिया जायेगा। consonance with the provisions of the relevant mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the State providing the full detail of the land use, mining area, its reclamation, etc. नैनीताल जिले की खनन योजना प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के V. Status of District survey Report, if any, prepared by the state Government in Nainital District in साथ संलग्न है। accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining -2019 issued by the Ministry vis-àvis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय मृदा VI. The state Government may also submit its comments whether the report prepared by the एवं जल संरक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट Sustainable Indian Institute of soil and water conservation is Sand Mining Guidelines 2016 के अनुरूप है, उनके द्वारा दिया in conformity with the Sustainable Sand Mining गया पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। Guidelines 2019 or otherwise. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ VII. Estimation of cost benefit ratio does not account अनुपात का अनुमान सम्मिलित किया गया है। लागत लाभ for all parameters specified in the Guidelines dated 01.08.2017 issued by the Ministry, विश्लेषण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। incorporated at Annexure& III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सुप्रीम कोर्ट VIII.As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर०बी०एम० की बिक्री से अर्जित राजरव को विभिन्न विभागों को दिया जाता है गत 10 utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be वर्षों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। provided on annual basis for the last decade.

IX. Details of money deposited in SPV made in the प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व स्वीकृत previous approval and SMC works done so far may also be provided.

वन स्वीकृति की एसा0पी0वी0 की धनराशि का विवरण व SMC कार्यों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर रोवा में अग्रेस्तर कार्यवाही हेतु प्रेपित की जा रही है। संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त्त्र उत्तुराखण्ड, हल्द्वानी।

123 पत्रांक

_______ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को उनके पत्रांक—269 / 12-1 दिनांक 15.07.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (दीप चन्द्र आर्य) वन संरक्षक

पश्चिमी वृद्ग्त, उत्त्रराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

2691

कार्यायय यन संरक्षक बिल्यमी वृत्तीनांक, रामनगर, 1 5-7-2022

सेवा में,

वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल

वंशीकण्या तं 1 tears 20-7-22

विषयः

जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रमाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में मारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भः

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. VI) दिनांक 10 मई 2022 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 9 विन्दुओं की आपितत लगाई गयी थी, उक्त आपिततयों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत विन्द्वार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार है:-

The Fee	
a for	

I. As per DSS analysis (report enclosed), out of total area of 187.85 ha (Software estimated), 26ha of forest land falls under water while the remaining area is non-wooded. Comments may be obtained from the State on the feasibility of mining over 26ha of land coming under water.

आपत्ति

उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 181.00 हैं। लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व मे भी लिया गया था जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र नदी तल का क्षेत्र है। सम्भवतः कुछ क्षेत्र में पानी दर्शित होता हो किन्तु खनन सत्र के अन्तर्गत अधिकतर क्षेत्र जल विहीन हो जाता है जिसमें उपखनिज निकासी प्रस्तावित है।

प्रतिउत्तर

II. Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 2.80 km from the boundary of the area proposed for diversion. As the area falls within 10 km from the boundary of Corbett Tiger reserve, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed may be obtained by the State and the same may be submitted for the ministry for consideration.

कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र ,की हवाई दूरी निकटतम 10.05 किमी० एवं कॉर्बेट टाईगर रिजर्व सें निकटतम दूरी 6.0 किमी0 आंकलित की गई है जिसको वन विभाग उत्तराखण्ड की आई0टी0 सेल देहरादून से प्रमाणित कराया गया है। (संलग्नक-1)

III. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 181 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the state along with soft copies of KML/shape files of

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी, दाबका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खनिज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी KML File (मय सी.डी.) संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-02)

IV. Examination of the Mining scheme submitted along with the proposal revealed the following:

a. Proposal has been submitted only for 181 ha while the Mining Scheme has been approved for an area of 254 ha. The discrepancy needs to be rectified by the state.

खनन योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु बनाई गई है जो कि मई 2023 तक के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 181.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर से ग्राम मदनपुर कूर्वी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने

	पर अनुगानित क्षेत्रफल 181.00 है0 में नदी की दोनो
	और 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है0 शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज चुगान की कार्यवाही की जा रही है। नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र सं0-877/1जी0 -2757/दिनांक 09.10.2012 द्वारा
	254.00 है0 से 181.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया
b. Chapter-12 of Mining plan mentions that sandy soil will be removed during mining operations and precautionary measures will be undertaken for its storage. However, details of measure and area earmarked for its storage have no been addressed in the Mining plan. c. Land use/Component wise breakup of the area.	था। (संलग्नक-03) Sandy soil का निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न खनन योजना के अध्याय-05 के अन्तर्गत Proposed Method Of Mining में उल्लेखित किया गया है, किन्तु वर्तमान में आर०वी०एम० उपखनिज चुगान का कार्य एफ०सी० में दी गई शर्तों के अनुसार ही श्रमिकों के माध्यम (By Hand tool Manual Method) से किया जाता है। खनन हेतु उपयोगी क्षेत्र 127.00 है। है। सतही मृदा
proposed for diversion i.e. area under mining infrastructure, approach road, storage of to soils, etc. has not been mentioned neither in the proposal nor in the Mining plan. The sam needs to be furnished by the state.	पितृ Soil) व Over Burden के मण्डारण रुपु राजित पितृ Dump का क्षेत्रफल 3.174 हैं0 है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारमूत संरचना (Infrastructure) के लिए 2.282 हैं0 वन भूमि का उपयोग किये जाने का प्राविधान है जिसे अनुमोदित खनन योजना की प्लेट सं0-06 व 07 में दर्शाया गया है।
d. Proposal for renewal of approval under FC has been submitted for a period of 10 years whis scheme of mining has been approved for period of 3 year (Pg 142/c; Pg 82/c).	थ फरवरी 2023 तक ही स्वीकृत है, जिस कीरण खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 वर्षों के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षों हेतु पुर्नप्रस्ताव आवेदित किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षों के लिए खनन योजना के बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
e. Mining plan essentially has to be prepared consonance with the provisions of the releva mineral concession rules and according diversion proposal should be formulated by to State. Mining plan, if any, prepared as approved for the entire period of 10 years m be submitted by the State providing the fidetail of the land use, mining area, reclamation, etc.	nt समावेश कर लिया जायेगा। ly ne nd ay ull its
V. Status of District survey Report, if ar prepared by the state Government in Naini District in accordance with the Guidelines Sustainable Sand Mining -2019 issued by Ministry vis-à-vis recommendation mathereof on the mining of RBM proposed in extant proposal.	all है। (सलग्नक—04) he de he
VI. The state Government may also submit comments whether the report prepared by Indian Institute of soil and water conservat is in conformity with the Sustainable Sa Mining Guidelines 2019 or otherwise.	ार । गई रिपाट Sustainable Sand Mining Guidelines

VII. Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 01.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure& III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be revisited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate technoceonomic tools.

लागत लाम अनुपात का अनुमान सम्मिलित किया गया है। लागत लाम विश्लेषण संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-06)

VIII.As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.

राष्ट्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभागों को दिया जाता है गत 10 वर्षों का विवरण संलग्न हैं। (संलग्नक-07)

 Details of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.

पूर्व रवीकृत वन स्वीकृति की एस0पी0वी0, की धनराशि का विवरण व SMC कार्यों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक–07)

उक्त आपितायों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बॉ.एस. शाही) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर